वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 03.11.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला,हिंदुस्तान,ज्ञानशिखा टाइम्स,यूनाइटेड भारत,तरुण मित्र," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 03.11.2025

सख्ती

वीडीए उपाध्यक्ष ने जांच के लिए गठित की टीम

बंद होंगे बिना नक्शे के चल रहे हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि बिना स्वीकृति मानचित्र के चल रहे हॉस्पिटल व डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई होगी। कई हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर बिना वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए ही संचालित हो रहे हैं। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी गंभीर है। इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी।

इसके लिए सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही टीम गठित की गई है। आगामी दिनों में जिले के सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति संस्थान का उत्पीड़न करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित कराना है कि वीडीए क्षेत्र में सभी चिकित्सा संस्थान नगर नियोजन के मानकों के अनुरूप संचालित हों।

पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत स्वीकृति अनिवार्य : उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत किसी भी भवन निर्माण से पूर्व नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीकृत सभी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए मानचित्र स्वीकृति कराना अनिवार्य है। यह प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया है कि चिकित्सा संस्थानों की इमारतें, उनके उपयोग, सुरक्षा मानकों एवं निर्माण की वैधता पूर्णतः नियमानुसार हों।

वीडीए उपाध्यक्ष की अपील... जल्द स्वीकृत कराएं मानचित्र

वीडीए उपाध्यक्ष ने सभी हॉस्पिटल संचालकों, चिकित्सकों एवं संस्था प्रबंधकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराएं। जिन हॉस्पिटलों के मानचित्र पूर्व में स्वीकृत नहीं हैं, वीडीए से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियमानुसार शमन करा लें। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई, असुविधा से बचा जा सकेगा।

यदि कोई संस्थान बिना स्वीकृत मानचित्र के पाया गया, तो उसे नोटिस, सील, अन्य प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति संस्थान का उत्पीड़न करना नहीं है। - पूर्ण बोरा, वीडीए उपाध्यक्ष

हिन्दुस्तान –दि0 03.11.2025

पंजीकृत अस्पतालों की मानचित्र स्वीकृति जरूरी

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। पीसीपीएनडीटी ऐक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य हो गई है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत किसी भी भवन निर्माण से पूर्व नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत होना जरूरी है।

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई होगी। यह प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया है कि चिकित्सा संस्थानों की इमारतें, उनके उपयोग, सुरक्षा मानकों एवं निर्माण की वैधता नियमानुसार हो। जिससे आम जनता की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि वीडीए के संज्ञान में ऐसे कई अस्पताल, जांच केंद्र आए हैं जो बिना स्वीकृत मानचित्र के चल रहे हैं। उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी जोनल अधिकारियों को ऐसे अस्पतालों पर रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 03.11.2025

पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हॉस्पिटल व सेंटरों के लिए अनिवार्य हुआ मानचित्र स्वीकृति

वाराणसी। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम -1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किसी भी भवन निर्माण से पूर्व नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत होना अनिवार्य है। *इसी प्रकार पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकृत होने वाले सभी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए मानचित्र स्वीकृति कराना अनिवार्य है। यह प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया है कि चिकित्सा संस्थानों की इमारतें, उनके उपयोग, सुरक्षा मानकों एवं निर्माण की वैधता पूर्णत: नियमानुसार हो, ताकि आम जनता की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित की जा सके।प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि वाराणसी जनपद के अनेक हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए ही संचालित किए जा रहे हैं। यह कृत्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी गंभीर है। इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश *उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण श्री पूर्ण बोरा द्वारा सभी जोनल

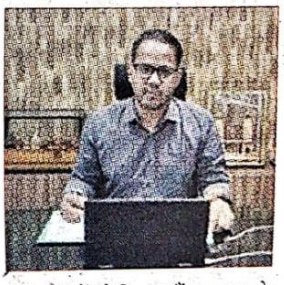

अधिकारियों को दिए गए हैं।उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष टीम गठित की गई है जो आगामी दिनों में जनपद के सभी ऐसे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों का सर्वेक्षण और स्थल निरीक्षण करेंगी जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं अथवा इस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान यदि कोई संस्थान बिना स्वीकृत मानचित्र के पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसमें नोटिस दिया जाना, निर्माण सील करना तथा अन्य प्रभावी विधिक कारवाही किया जाना शामिल है।प्राधिकरण के इस कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति संस्थान का उत्पीड़न करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित कराना है कि वाराणसी विकास क्षेत्र में सभी चिकित्सा संस्थान नगर नियोजन के मानकों के अनुरूप संचालित हों। इससे न केवल शहर की सौंदर्य व्यवस्था बनी रहेगी बल्कि भवनों की सुरक्षा, अग्निशमन प्रावधान और मरीजों की सुविधा भी सुनिश्चित होगी।उपाध्यक्ष द्वारा सभी हॉस्पिटल संचालक चिकित्सकों एवं संस्था प्रबंधकों से अपील की जाती है कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपने भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराएं। जिन हॉस्पिटलों के मानचित्र पूर्व में स्वीकृत नहीं हैं, विकास प्राधिकरण से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियमानुसार शमन करा लें। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्यवाही अथवा असुविधा से बचा जा सकेगा।

तरूण मित्र –दि0 03.11.2025

बिना स्वीकृति मानचित्र चल रहे हॉस्पिटल व डायग्नोस्टिक सेंटरों पर होगी कार्रवाई : वीसी पुर्ण बोरा

○ पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हॉस्पिटल व सेंटरों के लिए अनिवार्य हुआ मानचित्र स्वीकृति, वीडीए हुआ सख्त

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष टीम गठित की गई है जो आगामी दिनों में जनपद के सभी ऐसे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों का सर्वेक्षण और स्थल निरीक्षण करेंगी जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं अथवा इस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान यदि कोई संस्थान बिना स्वीकृत मानचित्र के पाई जाती है,

वीडीए वीसी पुर्ण बोरा

तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसमें नोटिस दिया जाना, निर्माण सील करना तथा अन्य प्रभावी विधिक कारवाही किया जाना शामिल है।

वीडीए वीसी पुर्ण बोरा ने कहा कि प्राधिकरण के इस कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति संस्थान का उत्पीड़न करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित कराना है कि वाराणसी विकास क्षेत्र में सभी चिकित्सा संस्थान नगर नियोजन के मानकों के अनुरूप संचालित हों। इससे न केवल शहर की सौंदर्य व्यवस्था बनी रहेगी बल्कि भवनों की सुरक्षा, अग्निशमन प्रावधान और मरीजों की सुविधा भी सुनिश्चित होगी। वीसी ने कहा कि प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि वाराणसी जनपद के अनेक हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए ही संचालित किए जा रहे हैं। यह कृत्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी गंभीर है। इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण पूर्ण बोरा द्वारा सभी जोनल अधिकारियों को दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम -1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किसी भी भवन निर्माण से पूर्व नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार पीसीपीएनडीटी एक्ट (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act,1994) के अंतर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकृत होने वाले सभी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए मानचित्र स्वीकृति (Map Approval) कराना अनिवार्य है।

यूनाइटेड भारत –दि0 03.11.2025

बिना स्वीकृति मानचित्र चल रहे हॉस्पिटल व डायग्नोस्टिक सेंटरों पर होगी कार्रवाई

'पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हॉस्पिटल व सेंटरों के लिए अनिवार्य हुआ मानचित्र स्वीकृति – वाराणसी विकास प्राधिकरण का सख्त रुख

वाराणसी । उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम - 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किसी भी भवन निर्माण से पूर्व नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार पीसीपीएनडीटी एक्ट (**Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act**,1994) के अंतर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकृत होने वाले सभी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए मानचित्र स्वीकृति (**Map Approval**) कराना अनिवार्य है। यह प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया है कि चिकित्सा संस्थानों की इमारतें, उनके उपयोग, सुरक्षा मानकों एवं निर्माण की वैधता पूर्णतः नियमानुसार हो, ताकि आम जनता की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित की जा सके। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि वाराणसी जनपद के अनेक हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए ही संचालित किए जा रहे हैं। यह कृत्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी गंभीर है। इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश *उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण श्री पूर्ण बोरा* द्वारा सभी जोनल अधिकारियों को दिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष टीम गठित की गई है जो आगामी दिनों में जनपद के सभी ऐसे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों का सर्वेक्षण और स्थल निरीक्षण करेगी जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं अथवा इस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान यदि कोई संस्थान बिना स्वीकृत मानचित्र के पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसमें नोटिस दिया जाना, निर्माण सील करना तथा अन्य प्रभावी विधिक कारवाही किया जाना शामिल है। प्राधिकरण के इस कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति संस्थान का उत्पीड़न करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित कराना है कि वाराणसी विकास क्षेत्र में सभी चिकित्सा संस्थान नगर नियोजन के मानकों के अनुरूप संचालित हों। इससे न केवल शहर की सौंदर्य व्यवस्था बनी रहेगी बल्कि भवनों की सुरक्षा, अग्निशमन प्रावधान और मरीजों की सुविधा भी सुनिश्चित होगी।